

वित्त विभाग से  
धरमर्शित

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक- 21-02-2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से विमुक्त NHM अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के सुगम संचालन हेतु विभिन्न मदों में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 22119.86 लाख (दो अरब इक्कीस करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 14746.57 लाख (एक अरब सैंतालिस करोड़ छियालिस लाख सन्तावन हजार रुपये) अर्थात् कुल रुपये 36866.43 लाख (तीन अरब अड़सठ करोड़ छियासठ लाख तेतालिस हजार रुपये) सहायक अनुदान राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त स्वीकृति ।

आदेश: स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से विमुक्त NHM अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के सुगम संचालन हेतु विभिन्न मदों में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 22119.86 लाख (दो अरब इक्कीस करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 14746.57 लाख (एक अरब सैंतालिस करोड़ छियालिस लाख सन्तावन हजार रुपये) अर्थात् कुल रुपये 36866.43 लाख (तीन अरब अड़सठ करोड़ छियासठ लाख तेतालिस हजार रुपये) सहायक अनुदान राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाना है ।

2. राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक-4499, दिनांक-14.11.2017, पत्रांक-6137, दिनांक-16.01.2018, पत्रांक-5867, दिनांक-08.01.2018, पत्रांक-5977, दिनांक-12.01.2018, पत्रांक-6135, दिनांक-16.01.2018, पत्रांक-5777, दिनांक-05.01.2018, पत्रांक-5971, दिनांक-12.01.2018 एवं पत्रांक-5976, दिनांक-12.01.2018 के द्वारा उपलब्ध कराये गये NHM अंतर्गत निम्न कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु अनुमोदित बजट के 60:40 अनुपात के अनुरूप केन्द्रांश मद में रुपये 22119.86 लाख (दो अरब इक्कीस करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 14746.57 लाख (एक अरब सैंतालिस करोड़ छियालिस लाख सन्तावन हजार रुपये) अर्थात् कुल रुपये 36866.43 लाख (तीन अरब अड़सठ करोड़ छियासठ लाख तेतालिस हजार रुपये) विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से विभिन्न

→

कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवंटनादेशों द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत है :-

<b>RCH Flexible Pool</b>				
<b>S.N</b>	<b>Letter no &amp; date</b>	<b>Amount (Central Shares) 60%</b>	<b>State Shares 40%</b>	<b>Total</b>
1	G27017-9-2017-NHM-F/2, dated-29-09-2017	1300000	866667	2166667
2	G27017-9-2017-NHM-F/3, dated-29-09-2017	86400000	57600000	144000000
3	G27017-9-2017-NHM-F/1, dated-29-09-2017	16800000	11200000	28000000
4	G27017-9-2017-NHM-F/1, dated-29-09-2017	16600000	11066667	27666667
5	G.27017-9/2017(2)-NHM-F/1, dated-16-10-2017	100000	66667	166667
6	G27017-9/2017-NHM-F/2 dated-24-10-2017	300000	200000	500000
7	G27017-9/2017-NHM-F/1, dated-24-10-2017	3200000	2133333	5333333
8	G.27017-18/2017-NHM-F/1, dated-27-11-2017	99200000	66133333	165333333
9	G.27017-18/2017-NHM-F/2, dated-27-11-2017	8000000	5333333	13333333
10	G.27017-18/2017-NHM-F/3, dated-27-11-2017	516000000	344000000	860000000
	<b>Total -</b>	<b>747900000</b>	<b>498600000</b>	<b>1246500000</b>
<b>Health System Strengthening under NRHM</b>				
1	G27017-9-2017-NHM-F/7, dated-29-09-2017	700000	466667	1166667
2	G27017-9-2017-NHM-F/6, dated-29-09-2017	6200000	4133333	10333333
3	G27017-9-2017-NHM-F/5, dated-29-09-2017	8500000	5666667	14166667
4	G27017-9-2017-NHM-F/9, dated-29-09-2017	44100000	29400000	73500000
5	G27017-9-2017-NHM-F/4, dated-29-09-2017	76300000	50866667	127166667
	G27017-9-2017-NHM-F/8, dated-29-09-2017	397100000	264733333	661833333
	<b>Total-</b>	<b>532900000</b>	<b>355266667</b>	<b>888166667</b>
<b>Flexible Pool for Communicable Diseases for NLEP Programme</b>				
1	F.no.G.27034/37/2017- NHM- F(E), dated-30-12-17	900000	600000	1500000
2	F.no.G.27034/37/2017 -NHM- F(E), dated-30-12-2017	11100000	7400000	18500000
	<b>Total-</b>	<b>12000000</b>	<b>8000000</b>	<b>20000000</b>

<b>Flexible pool for Non communicable Diseases</b>				
1	F.no.G. 27034/38/2017-NHM-F/6, dated-26-07-2017	35200000	23466666	58666666
2	F.no.G. 27034/38/2017-NHM-F/3, dated-26-07-2017	4900000	3266666	8166666
3	F.no.G. 27034/38/2017-NHM-F/5, dated-26-07-2017	317000000	211333334	528333334
4	F.no.G. 27034/38/2017-NHM-F/4, dated-26-07-2017	500000	333334	833334
5	F.no.G. 27034/38/2017-NHM-F/1, dated-26-07-2017	60900000	40600000	101500000
6	F.no.G. 27034/38/2017-NHM-F/2, dated-26-07-2017	6800000	4533333	11333333
	<b>Total-</b>	<b>425300000</b>	<b>283533333</b>	<b>708833333</b>
<b>Flexible Pool for Communicable Diseases for IDSP Programme</b>				
1	G.27034/37/2017-NHM-F(E), dated-04-08-17	7370000	4913333	12283333
2	G.27034/37/2017-NHM-F(E), dated-04-08-17	1440000	960000	2400000
3	G.27034/37/2017-NHM-F(E), dated-04-08-17	90000	60000	150000
	<b>Total-</b>	<b>8900000</b>	<b>5933333</b>	<b>14833333</b>
1	G.27034/37/2017-NHM-F(E), dated-09-11-17	800000	533333	1333333
2	G.27034/37/2017-NHM-F(E), dated-09-11-17	200000	133333	333333
	<b>Total-</b>	<b>1000000</b>	<b>666666</b>	<b>1666666</b>
1	G.27034/37/2017-NHM-F(E), dated-30-12-17	7300000	4866667	12166667
2	G.27034/37/2017-NHM-F(E), dated-30-12-17	700000	466666	1166666
	<b>Total-</b>	<b>8000000</b>	<b>5333333</b>	<b>13333333</b>
<b>National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP)</b>				
1	No.4-10/2016-17/NVBDCP/ Acctts/GIA/State (i), dated 04-05-17	5468000	3645333	9113333
	<b>Total-</b>	<b>5468000</b>	<b>3645333</b>	<b>9113333</b>
1	G.27034/37/2017-NHM-F(E), dated-30-12-2017	58100000	38733333	96833333
2	G.27034/37/2017-NHM-F(E), dated-30-12-2017	15600000	10400000	26000000
	<b>Total-</b>	<b>73700000</b>	<b>49133333</b>	<b>122833333</b>
1	G.27034/37/2017-NHM-F(E), dated-23-10-2017	88700000	59133333	147833333
2	G.27034/37/2017-NHM-F(E), dated-23-10-2017	17100000	11400000	28500000
3	G.27034/37/2017-NHM-F(E), dated-23-10-2017	1400000	933333	2333333
	<b>Total-</b>	<b>107200000</b>	<b>71466666</b>	<b>178666666</b>

1396(10)  
21.02.2018

<b>RNTCP/ Flexible pool for communicable Diseases Programme</b>				
1	G.27034/37/2017-NHM-F(E), dated-04-08-2017	203300000	135533333	338833333
2	F.No.G.27034/37/2017-NHM-F-(E), dated-30-12-17	45200000	30133333	75333333
3	RNTCP/IFD/GIA/NR/PL/2016-17/247 No.L.19015/12/2016-TB, dated-22-03-2017	41118000	27412000	68530000
<b>Total-</b>		<b>289618000</b>	<b>193078666</b>	<b>482696666</b>
<b>Grand Total-</b>		<b>2211986000</b>	<b>1474657330</b>	<b>3686643330</b>

3. केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:-

(क) केन्द्रांश:-

(i) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं-उपशीर्ष-0209-एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000209, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में रुपये 74,88,99,000/- में से कुल रुपये 74,88,99,000/- (चौहत्तर करोड़ अठ्ठासी लाख निन्यानवें हजार रुपये) मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

(ii) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0201-एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि 1,09,59,10,000/-रुपये में से कुल रुपये 96,65,03,000/-(छियानवें करोड़ पैंसठ लाख तीन हजार रुपये) मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

(iii) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0219-एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017960219, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रुपये 1,71,24,000/-में से कुल रुपये 1,71,24,000/-(एक करोड़ एकहत्तर लाख चौबीस हजार रुपये) एवं विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि 6,84,94,000/-रुपये में से कुल रुपये 6,84,94,000/-(छः करोड़ चौरासी लाख चौरानवें हजार रुपये) मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

(iv) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0201-एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210037890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रुपये 41,09,66,000/-में से कुल रुपये 41,09,66,000/-(एकतालिस करोड़ नौ लाख छियासठ हजार रुपये) मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

←————→

(ख) राज्यांश:-

(i) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-उप शीर्ष-0309-एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000309, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद् में उपबंधित राशि रुपये 1,99,70,64,000/- में से कुल रुपये 1,03,19,66,004/- (एक अरब तीन करोड़ उन्नीस लाख छियासठ हजार चार रुपये) मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

(ii) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0301- एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890301, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद् में उपबंधित राशि रुपये 73,06,06,000/-में से अवशेष कुल रुपये 44,26,91,326/-(चौवालिस करोड़ छब्बीस लाख एकानवें हजार तीन सौ छब्बीस रुपये) मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता-PLA-263 विपत्र कोड-K8448001200027 में सुलभ करायेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे।

6. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8244, दिनांक-02.08.2010 की कंडिका-2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

7. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-10/यो0-1-01/2015 (पार्ट) के पृष्ठ-92/टि0 पर प्राप्त है।


10. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी।


11. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. एतदसंबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

1396(10)  
21-02-2018

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
21/2/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)  
सरकार के विशेष सचिव।  



ज्ञापांक-10/यो0-1-01/2015 (पार्ट)-----1396(10) /स्वा0, पटना, दिनांक-21-02-2018

**प्रतिलिपि-** योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि-**सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि:-**अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (compilation section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं0-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

**प्रतिलिपि-**माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी सिविल सर्जन को ई-मेल से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
21/2/18  
सरकार के विशेष सचिव ।  
Rajiv